

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,  
पंचकुला ।

यादी क्रमांक: 4/17-95 तै० दि० 01/11

दिनांक 26/10/96

विषय:- 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान करना ।

---

विभागीय विद्यालय निरीक्षण कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिश को देखते हुये न्यू इण्डिया <sup>324</sup> विद्यालय सैक्टर-15, पंचकुला को शैक्षिक सत्र 1996-97 से 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली प्रारंभ तथा जमा 2 कक्षा में आर्ट तथा कांर्स संकाय प्रारंभ करने की त्याई अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार/विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नहीं करेंगे और इस बारे में नार्म अनुसार छात्र/छात्राओं को वांछित सभी आवश्यक साधन/सुविधाये अपने खर्चे पर ही उपलब्ध करावेंगे । 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात् केवल उन्ही को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होंने एमएड/एमएडसी/एमएडके के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा तदशिक्षा के लिए विभागीय शर्तों की भी पालना की जायेगी । इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियां भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/शर्तों के अन्तर्गत की जायेगी ।
3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फनीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये ।
4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे। इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी ।
5. विद्यालय को हरियाणा रजिस्ट्रेशन कोड की सभी शर्तों का पालना करना होगा ।

10 जमा 2 शिक्षा पत्राली में केवल वही विषय अथवा संकाय गुरु किये जायेंगे  
जिनका होटिंग/लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधाये विद्यालय में उपलब्ध हो तथा जिनका  
अनुमति विभाग द्वारा <sup>प्रदान</sup> की गई हो ।

7. सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी  
हिदायतो/निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

8. सरकार की हिदायतो अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा ।

9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जारी हिदायतो  
अनुसार किया जायेगा ।

10. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र 6 के हिसाब  
से पुस्तके उपलब्ध हो ।

11. स्टाफ को वेतन बैंक बैंक के द्वारा ही दिया जायेगा ।

12. हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित  
पुस्तके ही विद्यालय में पढ़ाई जायेगी ।

13. संस्था में कार्यरत <sup>स्टाफ</sup> की छः मास के वेतन के बराबर अकाया राशि जिला शिक्षा  
अधिकारियों के नाम बैंक में जमा करवाई जायेगी । प्रबन्धको को विद्यालय निरीक्षण कमेटी  
की सिफारिश अनुसार रुपये 65000/- की और राशि तीन त्रैमासिक किश्तों में जिला  
शिक्षा अधिकारी के भ्रम प्रोज करवायी होगी और यदि वह ऐसा नहीं करते तो प्रदान  
की जा रहा अनुमति वापिस ले ली जायेगी ।

14. विभाग द्वारा अनुमति किसी भी समय रोटिस देकर वापिस ली जा सकेगी ।

पृष्ठोंकन क्रमांक सम दिनांक: 9-7-98

इसकी एक प्रती निम्नलिखित को हस्ताक्षर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान अध्यापक हरियाणा उच्च विद्यालय सेक्टर-15, पंचकुला ।

2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।

*Reed*  
President  
New India Public School  
Education Society (Regd.)  
Panchkula

*Inupama*  
Principal  
New India Sr. Sec. School  
Sector-15, Panchkula (Hry.)

*Ser*  
उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

*...*  
उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा